राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 883/2014/जयपुर.

मैसर्स वायर्स एण्ड फेब्रिक्स (एस.ए.) लिमिटेड,
इण्डस्ट्रियल एरिया झोटवाड़ा, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–VI, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री टी. सी. जैन, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/05/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 10.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत–षष्ठम, जयपुर के आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 08.03.2013 में कर निर्धारण के समय वांछित घोषणा पत्रों के अभाव में अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया था जिसके विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के नियम 1957 के नियम 12(7) के प्रावधान अनुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी को घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 30.05.2014 तक का समय दिया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते हुए केवल एक माह का समय दिये जाने का विरोध करते हुए और अधिक समय दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने तक रूपये 59.29 लाख एवं रूपये 32.09 हजार के 'सी' फॉर्म कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु उनके द्वारा इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है तथा

लगातार.....2

यह भी कथन किया कि कुछ क्रेताओं को उनके सम्बन्धित राज्यों के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण वे समस्त घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके थे जो माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार अपीलीय स्तर पर भी स्वीकार किये जा सकते हैं अतः प्रस्तुत घोषणा पत्रों को स्वीकार करने का निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक ने अभी तक भी कुछ घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होने से उन्हें भी प्राप्त हो जाने एवं प्रस्तुत करने पर स्वीकार करने के लिये छः माह का समय दिये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 10.04.2014 से उन्हें प्राप्त 'सी' फॉर्म को दिनांक 30.05.2014 तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था ऐसी स्थिति में अब और समय बढ़ाया जाना उचित नहीं है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म एवं कुछ 'सी' फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारणों पर विचार किया गया। इस सम्बन्ध में पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा काफी मात्रा में 'सी' फॉर्म प्राप्त कर लिये गये हैं एवं इन घोषणा पत्रों को विलम्ब से प्रस्तुत करने का मुख्य कारण उनके क्रेता व्यवहारियों द्वारा समय पर घोषणा पत्र नहीं भिजवाना बताया गया है जो निश्चित रूप से अपीलार्थी के नियंत्रण के बाहर है और चूंकि अब वे घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश बनाम हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंट 1994 एस.टी.सी. 410** के प्रकाश में केन्द्रीय अधिनियम के नियम 12(7) के तहत अपीलीय स्तर तक भी घोषणा पत्रों को स्वीकार किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए पर्याप्त कारणों से समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया था परन्तु वह समय केवल एक माह का ही दिया गया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा समस्त घोषणा पत्र एकत्रित नहीं किये जा सके। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ.16(97)टैक्स/सी.सी.टी./14–15/5467 दिनांक 23.01.2015 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जिसमें आयुक्त द्वारा घोषणा पत्र पर्याप्त कारणों से विलम्ब से प्रस्तुत करने पर उन्हें भी स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये गये।

लगातार.....3

इससे यह जाहिर है कि विभाग द्वारा भी ऐसे मामलों में व्यवहारियों के पक्ष में निर्देश दिया जाना स्पष्ट होता है एवं इसी क्रम में वेट अधिनियम के तहत भी दिनांक 10.01.2017 को वेट नियम 21(1) में संशोधन करते हुए सभी तरह के घोषणा पत्रों को दिनांक 15.02.2017 तक भी स्वीकार किये जाने के प्रावधाान किये गये हैं अतः व्यवहारी के कथनों को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय नियम 12(7) एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त वर्णित निर्णय के अधीन अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत सभी घोषणा पत्रों को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित मांग राशि में तद्नुसार कमी करें एवं आगामी तीन माह में प्रस्तुत घोषणा पत्रों को भी स्वीकर कर मांग में कमी करें।

7. अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे दिनांक 30.7.2017 तक समस्त घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

8. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

4/5/2017

(के. एल.जैन)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष